राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या – 2239/2011/जयपुर

मैसर्स एम.आर.कन्सट्रक्शन,
ग्रुप–59,पेन्थर कॉलोनी, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर,जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–सी, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी–व्यवसायी की ओर से

श्री एन के बैद
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यथी–विभाग की ओर से

निर्णय

निर्णय दिनांक : 17/04/2017

1. अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 210/अपील्स–IV/2010–11/ई में पारित आदेश दिनांक 25.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2010 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003. (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति रुपये 61,584/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन(बस) संख्या आरजे–14 पीबी 2793 को फतहपुरा चौराहा, उदयपुर में रुकवा कर चैक किया गया। वाहन की छत पर एल्यूमिनियम सेक्शन, रबर रोल्स व एसेसरीज जयपुर से उदयपुर के लिये परिवहनित किया जा रहा था। परिवहनित माल के साथ बिल, बिल्टी व चालान नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट प्रथम, वृत–सी के द्वारा करापवंचन का अभियोग बनाकर पत्रावली सशक्त अधिकारी को प्रेषित की गई, जिसके अवलोकन पर सशक्त अधिकारी ने पाया कि माल का परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत विहित वांछित दस्तावेज के बिना जा रहा है इसलिए परिवहनित माल को सशक्त अधिकारी ने निरुद्ध किया। तत्पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जयपुर से फैक्स कॉपी वैट इनवाईस संख्या 10581 एवं 10582 दिनांक 22.06.2010 जो मैसर्स राजकुमार बिशनदास, जयपुर द्वारा मैसर्स एम.आर. एण्ड कन्सट्रक्शन ग्रुप, जयपुर को जारी किये गये, जिनमें माल की कीमत 2,05,281/– अंकित है, प्राप्त कर सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। परिवहनित माल के जांच के दौरान पाया गया कि उक्त माल बिना बिल, बिल्टी व चालान के परिवहनित किया जा रहा है इसलिए उन्होंने अधिनियम

की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने हेतु नोटिस जारी किया । नोटिस की पालना में प्रोपराइटर फर्म के श्री मोहम्मद हनीफ ने उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि एल्यूमिनियम सेक्शन, रबर रोल्स व एसेसरीज जयपुर से उदयपुर के लिये परिवहनित किया जा रहा था जिसका बिल,बिल्टी व चालान नहीं होने के कारण, जांच के समय व्यवहारी के कर्मचारी द्वारा जांच अधिकारी को प्रस्तुत नहीं कर पाया तथा प्रोपराइटर को फोन करने पर बिल संख्या 10581 एवं 10582 दिनांक 22.06.2010 की प्रति फैक्स से भिजवायी हैं। जवाब में माल के साथ बिल नहीं होने का कारण यह बताया कि रात्रि में माल लदान के समय बिल की फोटो कॉपी नहीं करवा पाये। अपीलार्थी व्यवहारी के उक्त जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 30.06.2010 अन्तर्गत धारा 76(6) के तहत माल कीमतन रुपये 2,05,281/– पर 30 प्रतिशत की दर से शारित 61,584/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आदेश दिनांक 25.07.2011 द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील आधार में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर कथन किया कि परिवहनित माल एल्यूमिनियम सेक्शन, रबर रोल्स व एसेसरीज जयपुर से उदयपुर के लिये परिवहनित किया जा रहा था। वक्त जांच माल के साथ बिल, बिल्टी व चालान नहीं होने के कारण बाद में व्यवहारी द्वारा बिल संख्या 10581 व 10582 दिनांक 22.06.2010 को फैक्स कॉपी पेश कर दी थी। सशक्त अधिकारी ने इसे अमान्य करते हुये अपीलार्थी–व्यवहारी के विरुद्ध शास्ति आरोपित की, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखने में विधिक भूल की है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विभाग के ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ वक्त चैकिंग अधिनियम के अन्तर्गत विहित वांछित वैद्य दस्तावेज मौजूद नहीं थे। चैकिंग के बाद दूरभाष पर फैक्स से बिल संख्या 10581 व 10582 की प्रति मंगवाकर पेश की गई है।

वक्त चेकिंग परिवहनित माल के अधिनियम के अन्तर्गत विहित वांछित दस्तावेज नहीं होने से बाद में फैक्स से दस्तावेजों की प्रति मंगवाकर प्रस्तुत किया जाना बाद की सोच (after thought) है जो प्रकरण के तथ्यों के आलोक में स्वीकार योग्य नहीं है। परिवहनित माल के साथ अधिनियम के अन्तर्गत विहित वांछित दस्तावेज होना आज्ञापक है। अतः अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन एवं न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की गई है। अतः यह पीठ अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2011 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नहीं समझती है इसलिए अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2011 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25.07.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष